International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारत में लोकहित कानून एवं न्यायिक सक्रियता

Dr Alka
Post Doctoral Fellow (ICSSR)
Department of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur

लोकहित मुकदमा जैसा कि हम विचार करते हैं, आवश्यक रूप से याचिकाकर्ता की ओर से सहकारी व सहायक प्रयत्न है, राज्य या लोक प्राधिकारिता व न्यायालय को संवैधानिक या विधिक अधिकारों, लाभ एवं विशेषाधिकारों को समुदाय के दयनीय वर्ग को प्रदान कर एवं सामाजिक न्याय उन तक पहुंचा कर इसका पालन करना चाहिए। राज्य या लोक प्राधिकारी जिनके विरूद्ध जनहित याचिका वाद लाया गया है उन्हें मूलभूत मानवीय अधिकार, संवैधानिक साथ ही साथ कानूनी को सुनिश्चित करने में रूचि होनी चाहिये, उनके प्रति जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में है, जैसे कि याचिकाकर्ता को होती है, जो जनहित याचिका न्यायालय में लाता है। राज्य या लोक प्राधिकारिता जो लोकहित मुकदमा में प्रतिपक्षी के रूप में व्यूह रचना करती है, वास्तव में, उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए, जो राज्य को अपनी गलती सही करने या अन्याय को दूर करने का अवसर प्रदान करेगा जो समुदाय के गरीब व कमजोर वर्ग के साथ हुआ है, जिनका कल्याण करना राज्य या लोक प्राधिकारिता की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए।[26] जनहित वाद एक नया न्यायाधिकार क्षेत्र है, जिसे न्यायिक सक्रियता द्वारा देश के शिखर न्यायालय ने नया बनाया है ताकि समाज के विशेषाधिकार विहीन वर्ग एवं कमजोर वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य तरह से दबाए हुए हैं एवं न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके एवं ऐसे वर्ग के लिये सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

यदि एक साधारण नागरिक लोक अधिकार की जोरों से मांग करता, अधिकार जिन्हें वह हर किसी के साथ समान रूप से आनंद लेता था, या लोक कर्तव्य को लागू करने का अनुरोध करता, यह कर्तव्य बड़े पैमाने पर जनता के प्रति बकाया था, तब कोर्ट ऑफ चान्सरी ने माना कि एकमात्र उपाय एटॉर्नी जनरल के पास रिलेटर कार्यवाही के लिये उसकी सहमति के लिये प्रार्थना पत्र देना है। यदि एटॉर्नी जनरल सहमत है तो 'उस व्यक्ति के संबंध से' एटॉर्नी जनरल के स्वयं के कार्य के रूप में कार्यवाही आगे बढ़ेगी परन्तु यदि एटॉर्नी जनरल सहमत नहीं होता तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार रिलेटर कार्यवाही एक ऐसे मुकदमे से मिलकर बनता है जो लोकहित में एक निजी व्यक्ति या समूह द्वारा लाया जाता है जिसे जनता के स्थान पर एवं एटॉर्नी जनरल के 'व्यवस्था पत्र' की सहमति से दायर किया जाता है, अन्यथा जिसे कोई 'सुने जाने का अधिकार' न होता। बाद में भी कार्यवाही की संपूर्ण प्रगति पर नियंत्रण शक्ति बनी रही। रिलेटर एक्शन 'एडवोकेट जनरल' की सहमति से लाया जा सकता था।

19वीं शताब्दी के दौरान अदालतें किसी को भी न्यायालय में आने देने के प्रति उदासीन थी जब तक कि उसका स्वयं की कोई विशेष शिकायत/परिवाद न हो। उसे आमतौर पर यह दिखाना होता था कि उसके कुछ कानूनी अधिकार थे जिनका उल्लंघन हुआ था या उसकी स्वयं की सम्पत्ति हानिकारक रूप से प्रभावित हुई थी। यह पर्याप्त नहीं था कि वह जनता में से एक है जो सैंकड़ों या हजारों अन्य के साथ शिकायत कर रहा है।

20वीं शताब्दी के दौरान स्थिति काफी बदल गई थी। अधिकांश मामलों में साधारण व्यक्ति न्यायालय आ सकता था। उसे सुना जा सकता था यदि मामले में उसका 'पर्याप्त हित' होता, परन्तु 'पर्याप्त हित' का परीक्षण पकड़ में न आने वाला मायावी था। इसका हल न्यायालय द्वारा निकाला जाना था। इंग्लैण्ड में अपीलीय न्यायालय मुख्य रूप से लॉर्ड डेनिंग द्वारा 'सुने जाने के नियम' को उदार बना चुका था, जो लोक भावना वाले व्यक्तियों को ऐसे

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कार्य करने की स्वीकृति देता है जो सरकारी कार्य करने वाले लोगों और सत्ता को कानून का उल्लंघन करने पर जांच सके और रक्षा कर सके।

संकेत शब्द - न्यायालय, दृष्टिकोण, लोकहित, मानवीय अधिकार, मुकदमा, आर्थिक न्याय, न्यायाधिकार

लोकहित –

लोकहित : लोक या सामान्य हित का मामला जिसका तात्पर्य जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले हित से नहीं है और न ही स्नेहपूर्ण संसूचना अथवा मनोविनोद से है, अपितु इसका सम्बन्ध समुदाय के विशेष हित से है अथवा उस हित से है, जिसके द्वारा विधिक अधिकार एवं दायित्व प्रभावित होते हैं। ब्लैक के कानूनी शब्दकोष के छठे संस्करण में जनहित याचिका को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–

''लोकहित – कुछ ऐसी चीज जिसमें लोक, बड़े पैमाने पर समुदाय के कुछ आर्थिक हित या कुछ ऐसे हित हैं जिनके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या दायित्वों को प्रभावित किया जाता है। इसका तात्पर्य उस संकीर्ण या संकुचित वस्तु से नहीं है जो केवल जिज्ञासा मात्र है अथवा जिसका सम्बन्ध किसी इलाके/स्थान विशेष से है, जो प्रश्नों के मामलों से प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार के मामलों में नागरिकों द्वारा साझा हित प्रभावित हुआ हो।''

'मुकदमा' शब्द का अर्थ एक विधिक कार्यवाही से है, जिसके अंतर्गत कानूनी न्यायालय में शुरू की गई समस्त कार्यवाही सम्मिलित है जिसका उद्देश्य अधिकार को प्रभावी बनाना या उपचार प्राप्त करना है।

इस प्रकार 'जनहित याचिका' का अर्थ है कानूनी न्यायालय में प्रारम्भ किया गया एक विधिक कार्य जो जनहित या सामान्य हित को प्रभावी बनाए, जिसके अंतर्गत जनहित या

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सामान्य हित, जिसके अंतर्गत लोक या समुदाय के वर्ग के आर्थिक या कोई हित है जिससे उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं।[4]

लोकहित कानून का उद्‌गम एवं विकास-

लोकहित कानून के उद्‌भव से पूर्व वहाँ प्रशासनिक अभिकरण विद्यमान थी जिन्हें संयुक्त राज्य में जनहित के प्रतिनिधित्व के लिये प्रमुख मंच समझा जाता था। प्रशासनिक अभिकरणों को अनेक प्रकार के कार्य करने होते थे जिनमें से बहुराष्ट्रीयताओं को सामाजिक लाभ की व्यवस्था से लेकर पर्यावरण की रक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों तक को शामिल किया जाता था। उनके पास महत्वपूर्ण निर्णय लेने की एवं उन्हें लागू करने की शक्तियां निहित थी। परन्तु साठ के दशक तक यह स्पष्ट हो गया था कि प्रशासनिक अभिकरण जनहित को सुरक्षित रखने में असफल हो गए थे।

आधुनिक जीवन की जटिलताओं ने एक नए प्रकार के अधिकारों को उभार दिया है यद्यपि उन्हें 'निजी अधिकार' या 'सार्वजनिक अधिकार' के वर्ग में नहीं रखा गया है जिन्हें राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता है उन्हें सामूहिक या विसारित अधिकार के रूप में माना गया है, जो किसी से भी विशेष रूप से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिये, उस हवा का मालिक कौन है जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं? यह एक ही बार में हरेक के लिए है और एक ही समय में किसी के लिये नहीं है। इन विसारित अधिकारों का संरक्षण इन दिनों सभी की चिंता बन गई है। उन अधिकारों का दावा है कि ये समकालिक एवं पर्याप्त रूप से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं।

लोकहित कानून की परिभाषा-

फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा लोकहित कानून के लिये स्थापित परिषद् ने इसकी रिपोर्ट में लोकहित कानून की व्यापक परिभाषा दी है– लोकहित कानून हाल ही में ऐसे प्रयासों को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

दिया गया नाम है, जो कानूनी प्रक्रिया में पूर्व में गैर प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व के अधीन समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। ऐसे प्रयासों को इस मान्यता में लिया गया है कि कानूनी सेवाओं के साधारण बाजार स्थल ऐसी सेवाओं को जनता के महत्वपूर्ण हिस्से और महत्वपूर्ण हितों के लिये प्रदान करने में असफल हो गए थे। ऐसे वर्ग और हित गरीबों, पर्यावरणविदों, उपभोक्ताओं, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों एवं अन्य को सम्मिलित करते हैं। ये केवल गरीब और वंचितों को ही नहीं वरन् सामान्य जन को भी शामिल करते हैं क्योंकि जो उनके प्रतिनिधित्व के लिये वकीलों का खर्चा वहन नही ंकर सकते न्यायालय तक उनकी पहुंच कम हो जाती है। प्रंशासनिक अभिकरण एवं अन्य कानूनी मंच जिनमें आधारभूत सार्वजनिक निर्णय उनके हितों को प्रभावित करते हों, बनाए जाते हैं।

परिभाषिक शब्द 'लोकहित कानून' का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बड़े प्रयासों को आच्छादन करने के लिये है जो उन लोगों के पक्ष में कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो बाजार स्थल पर सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकते थे। संभवतया यह 1960 के मध्य से पीछे नहीं जाता है। परन्तु मानव संस्थाओं के क्षेत्र में, वर्तमान की जड़ें गहरे रूप में भूतकाल में दफन है। यह कानून एवं कानूनी संस्थाओं के लिये भी सत्य है।

विभिन्न आंदोलनों एवं कार्यक्रमों जिन्होंने लोकहित कानून की आधारभूत विचारधारा में आकृति एवं ढांचे का योगदान दिया, 1876 में जब प्रथम कानूनी सहायता ऑफिस, न्यूयार्क शहर में कानूनी सहायता कार्यक्रम की स्थापना के साथ स्थापित किया गया जो हाल ही में पहुंचे अप्रवासियों के लिये था। अमेरिका में अगले 100 वर्षो में अनेक घटनाओं से आधुनिक लोकहित कानून को आकार देने में मदद मिली। संगठित कानूनी सहायता आंदोलन इसके गैर–प्रतिनिधित्व हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिये व्यवस्थित प्रयासों के साथ शुरू हुआ एवं इसने ऐसे मुवक्किलों की सेवा के लिये वकीलों के वैतनिक स्टाफ की नई अवधारणा प्रारम्भ की।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारत में जनहित याचिका-

जनहित याचिका की अमेरिकी अवधारणा का भारतीय प्रत्यारोपण दरअसल इस प्रक्रिया की परिणति था जो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों द्वारा लगातार सामाजिक प्रेरणा से गतिशील हुआ जो भूखे, गरीब एवं शोषित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करने और प्रत्येक की आंखों से आंसू पोंछने के लिये था।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और भगवती जे.जे. ने अपने कई विचारों में न्यायिक प्रक्रिया की नई धारणात्मक भूमिका पर शानदार निबन्ध लिखे जिनमें रचनात्मकता और गरीबों के लिये चिन्ता थी। समय–समय पर उनहोंने वर्तमान कानूनी एवं न्यायिक व्यवस्था को औपनिवेशिक विरासत के रूप में वर्णित किया जो हमारी दशाओं से मेल नहीं खाती थी। यहां तक कि वे उत्पीड़न, शोषण एवं अन्याय के महिमामंडित दृश्यों का चित्रण भी उजागर करने में नहीं हिचकिचाए जो कानून लागू करने वाली मशीनरी द्वारा किये गए थे। जनहित याचिका की अवधारणा आधुनिक न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति पर आधारित है जो गतिशील एवं अपरंपरागत दृष्टिकोण के रूप में भारत के न्यायालयों में उभरी है। जनहित याचिका आंदोलन ने गरीब, अशिक्षित, उपेक्षित और वंचित लोगों के लिए कानूनी सहायता के साधन के रूप में प्रवेश किया जिन्हें पहले न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके विपरीत अमीर एवं समृद्ध लोगों के पास अदालतों के दरवाजों को खोलने के लिये सुनहरी कुंजियां थी।[7]

भारत में जनहित याचिका का उद्भव-

अमेरिकी परिदृश्य के विपरीत भारत में जनहित मुकदमे का आरंभ सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों द्वारा किया गया है। प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी के अनुसार लोकहित मुकदमा प्राथमिक रूप से न्यायाधीशों के नेतृत्व एवं न्यायाधीशों द्वारा प्रेरित रहा है। यह बारीकी से न्यायशास्त्र संबंधी और न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। यह सक्रिय लगभग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

विस्फोटक न्यायिक शक्ति के अभिकथन का परिणाम है जिसकी जनसमूह के कष्टों को सुधारने के लिये न्यायाधीशों द्वारा न्यायपीठ के अन्दर और बाहर वकालत की गई। यह आंदोलन आपात स्थिति के बाद बेदखल एवं वंचित लोगों की सहायता के लिये शुरू हुआ और न्यायिक लोकलुभावनवाद के रूप में जाना जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल विपरीत जहां जनहित याचिका ने एक संभ्रांतवादी आंदोलन के रूप में शुरूआत की, यह भारत में 'लाखों के हितों' के लिये उभरा।

अमेरिका में लोकहित कानून कर्मों के विपरीत, ज्यादातर मामलों में शिकायतें भी अखबार की रिपोर्ट्स से उठाई जाती है। याचिकाकर्ता के समर्थन के लिये शायद ही कोई स्वतंत्र अनुसंधान या आंकड़ा संग्रह केन्द्र होता है। यह कार्य कुछ सामाजिक अनुयोजन समूहों या लोक भावना युक्त नागरिकों द्वारा, जिनमें युवा वकील एवं पत्रकार भी शामिल हैं, उनके द्वारा आरंभ किया गया। इसके समर्थन के लिये कोई लोक या निजी आर्थिक सहायता या योगदान उपलब्ध नहीं है सिवाय इसके कि अदालत ने स्वयं उचित मामलों में कानूनी सहायता के लिये आदेश दिया। हालांकि कुछ उत्साही युवा वकीलों ने मिशनरी भावना में जनहित याचिका हाथ में ली थी, अब यह संस्थागत बनने के रास्ते पर है। अमेरिका की भांति कोई लोकहित मुकदमेबाजी कानूनी फर्में नहीं हैं।

कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर की जाती है जो पत्रों को रिट याचिकाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। इस बात पर कोई जोर नहीं है कि नीति उन्मुख मामलों को ही केवल अदालतों के समक्ष लाया जायेगा। साथ ही इसका कोई स्वीकृत रूझान नहीं है कि नागरिक जिनकी जिन्दगी प्रभावित हो सकती है उन्हें इन नीतियों के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। वितरणात्मक न्याय भारत में जनहित याचिका की अवधारणा में निहित है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारत में जनहित याचिका की जड़ें ढूंढना बहुत पूर्व का कार्य नहीं है, यह केवल 1976 था, जब जनहित याचिका की अवधारणा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा प्रारंभ की गई जबकि इसे कोई परिभाषिक शब्दावली भी नहीं दी गई थी। मुम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाइ के मामले में एक औद्योगिक विवाद परम्परागत बोनस की अदायगी को लेकर था, जिसका भुगतान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत मिलने वाले बोनस के अतिरिक्त करना था। मामला मुम्बई कामगार सभा, जो कर्मकारों का संघ था, द्वारा पेश किया गया। प्रबन्धकगणों द्वारा प्रारम्भिक तौर पर आपत्ति उठाई गई कि मुम्बई कामगार सभा संघ को इस मामले में न्यायालय द्वारा 'सुने जाने का अधिकार' उपलब्ध नहीं है क्योंकि वास्तविक विवाद प्रबन्धकगण व कर्मकारों के मध्य ही है। अतः संघ इस मामले को न्यायालय में लाने में सक्षम नहीं है। माननीय न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच की ओर से बोलते हुए कहा कि प्रतिवादी के अधिवक्ता का यह कहना सही नहीं है कि वास्तविक विवाद कर्मकारों व संस्थाओं के बीच में है तथा मुम्बई कामगार संघ को 'सुने जाने का अधिकार' नहीं है। लड़ाई कर्मकारों व नियोजकों के बीच एवं संघ एक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति विवाद में आवश्यक रूप से अनिवार्य है चाहे वे कर्मकार औपचारिक रूप से पक्षकार की सुसज्जित पंक्तिबद्ध सेना की टुकड़ी के रूप में अदृश्य है। मामले के सार से स्पष्ट है कि औपचारिक दोष इन परिस्थितियों में फीके पड़ जाते हैं।

हमारी विशेषण रूपी विधिशास्त्र की शाखा अधिकांशतः भ्रष्ट लोगों से संबंधित मुकदमा न होकर ग्रामीण गरीब लोगों से संबंधित होती है। शहरीकरण तथा समाज के कमजोर वर्ग, जिनके लिये विधि एक अतिरिक्त भय साबित होगी, यदि उनको (गरीब लोगों को) तकनीकीमय प्रक्रिया, गलत विवरण, अभिवचन के लेखन में कमियां व वाद हेतुक को बनाना एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्ध दावा न करने देने के लिये एक रहस्यात्मक हथियार उत्पन्न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

करती है जहां अपवित्र खेल अनुपस्थित हैं तथा न्यायपूर्णता को दोषी नहीं माना जाता। प्रक्रियात्मक लचीलापन न्याय की एक शालीनता है। परीक्षण स्वरूप मुकदमे, प्रतिनिधित्व कार्यवाही, लोकहित में (Probono Publico) एवं इसी तरह के विधिक प्रक्रियाओं के वृहद् नमूने वर्तमान समय (Current accent) को ध्यान में रखते हुए कि न्याय जनसामान्य को मिल सके तथा साथ ही ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से अनुत्साहित करना जो गुणवत्ता पर आधारित वास्तविक मुद्दों के लिये दूसरा रास्ता (By pass) निकालने की कोशिश करते हैं तथा जो प्रक्रियात्मक कमियों से घिरी हुई (Peripheral) बातों पर सन्देहात्मक विश्वास रखते हैं। यदि अनुच्छेद 226 को विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह (लोकहित मुकदमा) व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित रूप से रखने से भिन्न, सामूहिक या सामान्य दुःखों के लिये प्रयोग में लाया जाता है। यद्यपि परम्परागत दृष्टिकोण, पूर्व निर्णय (Precedent) से समर्थित संकुचित विकल्प को चुना है।

'सुने जाने के अधिकार' के विस्तृत रूप से अर्थान्वयन (construction) से हमारी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों व अवधारणात्मक लचीलेपन ने लोकहित को प्रोत्साहित किया कि व्यक्तिवाद के अधिकार की स्वाधीनता का फायदा लेते हुए उच्चतम न्यायालय को उस स्थिति में ले जा सकते हैं जबकि उपचार में काफी तादाद में लोगों द्वारा हिस्सा लिया जाता है, विशेष रूप से जब वे कमजोर हैं। विशेषणात्मक विधि का उद्देश्य है कि उचित प्रक्रिया के माध्यम से कम से कम मुकदमेबाजी हो।

भारत में जनहित याचिका का विकास-

भारतीय संविधान समृद्ध और धनवान व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, उसे साधारण व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, इसे ऐसा प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि लोग उसे समझे, इसे आदर दें और इसे अपनी रक्षा का यन्त्र माने। वास्तव में संविधान न्यायालय का संरक्षण एवं कानून की सहायता लेने में सुगमता ही गरीब, भूखे और नंगे

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

व्यक्तियों को मौलिक अधिकार का लाभ दे सकता है। संविधान की नजीरें इन गरीब व्यक्तियों को न्याय देने में बाधा नहीं बनाई जा सकती हैं। एक गरीब व्यक्ति की आकांक्षाएं इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अभिव्यक्त हो सकती है लेकिन यह भी असफल हो जाए तो राष्ट्र का विनाश अवश्यम्भावी है।

न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के यह विचार आज अनेक समाज सुधारकों, विधिवेत्ता, न्यायविदों और शिक्षाविद् द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। यहां तक कि साधारण जनता भी यह जानती है कि न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार है और न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग दुर्बल वर्ग के कष्टों के निवारण, शासनतंत्र और प्रशासन तंत्र की ज्यादतियों के खिलाफ कर सकता है।

जनहित याचिका का अर्थ – जनहित का अर्थ बड़ा जटिल है। इसका अर्थ न रूचि है और न धन का लाभ बल्कि उसमें कई तथ्य सम्मिलित हैं। इसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि सरकार द्वारा जो कार्य कराया गया, वह सही या गलत शासन करने में समानता, निष्पक्षता, न्याय स्पष्ट होने चाहिए। एक सभ्य समाज में शासन विधि के शासन के आधार पर होना चाहिए, यह पारदर्शी होना चाहिए तथा उसमें यह भावना होनी चाहिए कि यह सही रूप में लिया गया था।

याचिका का अभिप्राय एक ऐसा कानूनी कदम जिससे किसी अदालत में एक अधिकार को लागू करने या गलती में सुधार के लिए उठाया गया हो। अतः शाब्दिक अर्थ में जनहित याचिका का अर्थ है जनहित या सामान्य हित जिसमें जनता के एक वर्ग या समुदाय का कुछ हित शामिल है जिसके द्वारा उनके कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें किसी न्यायालय में एक कानूनी उदय के रूप में प्रारम्भ करना ही जनहित याचिका है।

जनहित कानून उन व्यक्तियों और उपेक्षित वर्गों का कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास है। ये कदम इसलिए उठाये गये हैं कि यह देखा जाता है कि जनसंख्या के एक

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बहुत बड़े भाग को कानूनी सेवाएं सामान्य व्यवस्थाओं द्वारा नहीं दी जाती है। जनता के इस भाग में गरीब, पर्यावरणविद्, उपभोक्ता, जातीय अल्पसंख्यक और अन्य शामिल हैं। ये उन लोगों की वजह से भी उत्पन्न हुआ है जिनके पास कतिपय सामाजिक मूल्य और अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन करते हुए न्यायालय को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गरीब से गरीब, दलित, अशिक्षित महिलाएं, बच्चे को या तो न्याय मिल ही नहीं रहा था या उन्हें न्याय तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, इन्हीं वर्गों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए एक शाखा का जन्म हुआ जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। कुछ समय पश्चात् इसने अपने पंख फैलाए। न्यायालयों ने कामगारों के निवासियों को कानूनी सहायता दी, उन्हें शीघ्र प्रशिक्षण मानव अधिकार अन्य प्रदान करने का प्रयास किया गया। न्यायालयों ने उस परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया। राज्य की नीति के परिणामस्वरूप हृदयहीन उपेक्षा हुई। सार्वजनिक जीवन में पारदिर्शता नहीं हुई है। सत्ता का दुरूपयोग हुआ है। पर्यावरण को नष्ट किया गया है। न्यायालय ऐसे प्रकरणों में हस्तक्षेप करता है और अगर अनुच्छेद 21 को तोड़ा गया या मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। गरीब जनता के हित के लिए याचना की गई और दलित समाज को संसाधनहीन के कारणों से न्यायालय में नहीं आ सकता तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है।[14]

निष्कर्ष :

भारत में न्यायिक व्यवस्था कॉमन–लॉ के प्रतिपक्षीय प्रणाली, प्रक्रियात्मक तकनीकों, सुने जाने के अधिकार पर आधारित रही है जो दुष्कर, खर्चीली एवं कुल मिलाकर विनाशकारी पद्धति है। गरीब व्यक्ति भारी खर्चे एवं विधि की रहस्यात्मक, गूढ़ एवं जटिलतम तकनीकी विशेषताओं के कारण न्यायालय तक अपने अधिकारों के प्रवर्तन कराने हेतु नहीं पहुंच पाता था। न्यायालयों की श्रेणीबद्ध संस्थायें जिनमें एक अपील के बाद दूसरी अपील गरीब व्यक्तियों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

को विधिक न्याय से परे कर देती है। अमीर अधिवक्ता सेवाओं पर एकाधिकार रखते हैं और गरीब व्यक्तियों की मदद करने के इच्छुक नहीं होते। विधिक प्रक्रिया को महंगी बनाना अप्रत्यक्ष रूप से जनता को न्याय प्रदान करने से मना करने के समान है, परिणामतः गरीब लोग न्यायिक व्यवस्था से अपना विश्वास खोने लगे कि संभवतः न्यायालय उनकी जीवन दशाओं में सुधार लाने एवं न्याय प्रदान करने में कोई परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं है। इसीलिये देश में आपातकालीन घोषणा के तुरन्त बाद एक नई प्रकार की मुकदमेबाजी का अवतरण भारतवर्ष में हुआ। यह अंतरचेतना थी, अधिशासी रूप से इसे जनहित याचिका/लोकहित मुकदमा कहा गया। इसके अंतर्गत कॉमन लॉ/आंग्ल सेक्शन प्रतिमान के मॉडल के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं थी उनमें ढील दी गई।

रिट अधिकारिता के सामान्य सिद्धान्तों में एवं मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिये आने वाली रिट याचिकाओं में भी ढील दी गई। न्यायालय ने पत्रों, टेलीग्रामों एवं समाचार–पत्रों में प्रकाशित खबरों पर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए गरीबों के अधिकारों की रक्षा की है। जनहितवाद परम्परागत न्याय प्रणाली का पूर्णतः विकल्प नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता केवल सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को ही मौलिक एवं विधिक अधिकारों के प्रवर्तन में प्राप्त है। न्याय की यह तकनीकी रहित सरल प्रक्रिया अन्य जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है, वे केवल परंपरागत न्याय प्रणाली में 'सुने जाने के अधिकार' के नियम का ही पालन करने के लिये बाध्य हैं, जहां केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिये मुकदमा दायर करता है। इस प्रकार यह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। सुने जाने के अधिकार के उदारीकरण से तृतीय पक्ष के मुकदमे में आ जाने से संभावना बढ़ी है कि वह लोकप्रियता हासिल करने के लिये या व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने के लिये जनहित याचिका दायर करे। निजी हित याचिका को जनहित याचिका का रूप देने के ऐसे मामलों से अदालतों पर व्यर्थ का बोझ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बढ़ता है और इससे उस कीमती समय की बर्बादी होती है जो सुनवाई की तारीख मिलने की उम्मीद में कई साल से इंतजार कर रहे मामलों को दिया जा सकता है।

इसके बावजूद कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप से सांविधानिक संतुलन प्रभावित होगा। कई सुदूरगामी निर्णयों ने जनता को राहत पहुंचाई है और इसने कार्यपालिका की असफलता को भी उजागर किया है। जनहित याचिका ने कई कानूनी सिद्धान्तों के विकास में भी सहायता दी है। इन सिद्धान्तों के कारण जनता को मुआवजा प्राप्ति में सहायता मिली है एवं पर्यावरण प्रदूषणकारी उद्योगों पर रोक लगी है। प्रदूषकों को अपनी गलती के लिये भुगतान करना पड़ता है।

आभार :- भारतीय सामाजिक वज्ञानं अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के द्वारा मुझे "जनहित या चका एवं नव सामाजिक आन्दोलन:राजस्थान राज्य के वशेष संदर्भ में अध्ययन" वषय पर मुझे पोस्ट डॉक्टोरल फेलो शप आदेश क्रमांक F.No.3-22/2016-17/PDF/SC दिनांक 30.01.2017 के द्वारा प्रदान की गई एवं इसको पूर्ण करने के लए राजस्थान वश्व वधालय जयपुर के राजनीति वज्ञान वभाग की प्रोफ़ेसर डॉ मंजू कुमारी जैन का ह्रदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन व निर्देशन में यह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण कया l

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए.आई.आर. 2001, दिल्ली, पृष्ठ 223 से 225 से उद्धृत
2. पर. कैमबैल, सी.जे., आर.वी.बैडफॉर्डशायर, 1855, 24 एल.जे.क्यू.बी. 81 (84)
3. जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी, ए.आई.आर. 1993, सर्वोच्च न्यायालय, 892, पैरा–51
4. बैलेंसिंग ऑफ स्केल्स ऑफ जस्टिस – फाइनेन्सिंग पब्लिक इन्टरेस्ट लॉ इन अमेरिका, ए रिपोर्ट बाई द काउंसिल फॉर पब्लिक इन्टरेस्ट, 1976, पृष्ठ 6
5. सम्पत जैन, पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 32

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

6. एस.के. अग्रवाल, पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन इन इण्डिया : ए क्रिटिक, द इण्डियन लॉ इन्सस्टीट्यूट, 1985, पृष्ठ 17
7. ए.आई.आर. 1976, उच्चतम न्यायालय 1465
8. न्यायमूर्ति चन्द्रचूड, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973), 4 एस.सी. 225
9. उपेन्द्र बक्शी, ''टेकिंग सफरिंग सीरयसली सोशल एक्शन लिटिगेशन इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया'', पृष्ठ 387–415 (1988)
10. ओंकार लाल बजाज बनाम यू.ओ.आई. (2003) 2 एस.सी.सी. 673
11. न्यायमूर्ति एस.आर. पाइनयान, जनता दल बनाम एस.एस. चौधरी, ए.आई.आर. (1993) एस.सी. 892
12. बाल्को कर्मचारी संगठन बनाम भू.ओ.आई.ए.आई.आर.–एस.सी. 350
13. ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 892 कोटेड इन ए.आई.आर. 1996 केल 181 एट 219
14. ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 2211 कोटेड इन स्टेट वी. यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई. आर. 1996 केल 181 एट 195 : (1996) 1 कॉम एल.जे. 258
15. स्टेट व. यूनियन ऑफ इण्डियन, ए.आई.आर. 1996 काल 181 एट 200 : (1996) 1 कॉम एल.जे. 258